न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 सौम्या झा
आई०ए०एस०

राजस्व अपील 36/2022

1. गोपी देवी पुत्री महादेव पत्नि मूलचंद जाति मीना निवासी प्यारीवास हाल निवासी राजपुरा तहसील नांगल राजावतान
2. कमला देवी पुत्री महोदव पत्नि रामेश्वर जाति मीना निवासी प्यारीवास हाल निवासी कालीखाड तहसील नांगल राजावतान

....अपीलान्ट्स

बनाम

1. भवानीसिंह पुत्र पाण्डुराम जाति मीना निवासी नयागांव तहसील गंगापुर
2. गिर्राज प्रसाद पुत्र राधेश्याम
3. दिनेश कुमार पुत्र राधेश्याम
4. रामदयाल पुत्र राधेश्याम
5. राभजन पुत्र राधेश्याम
   समस्त जाति मीना निवासी प्यारीवास तहसील नांगलराजावतान
6. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान

... रेस्पों0

अपील अर्न्तगत धारा 75 एलआर एक्ट विरूद्ध आदेश तहसीलदार नांगल राजावतान दिनांक 18.11.2020 जिसके तहत अप्रार्थी नंबर 1 को वाके ग्राम प्यारीवास मे स्थित खसरा नंबर 445/1 रकबा 0.50 है0 खसरा नंबर 698/686 रकबा 1.5000 हैं0 का फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिये ग्रामीण कनर्वजन रूल्स 2007 के तहत कनवर्जन किया है।

उपस्थित– 1. श्री विनोद विजय, अधिवक्ता अपीलांट्स।
2. श्री रामावतार बैरवा अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 2 से 5
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 03.06.2026

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा ग्राम प्यारीवास मे स्थित खसरा नंबर 445/1 रकबा 0.50 है0 खसरा नंबर 698/686 रकबा 1.5000 हैं0 का फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिये ग्रामीण कनर्वजन रूल्स 2007 के तहत कनवर्जन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया।
3. सर्वप्रथम पत्रावली में संलग्न दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी। अधिवक्ता अपीलांट्स ने कथन किया कि निर्णय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नांगलराजावतान दिनांक 18.11.2020 की अपीलान्ट को कतई जानकारी नही थी क्यो कि उक्त निर्णय अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना पारित किया गया है इसलिये अपीलान्टको उक्त निर्णय की कतई जानकारी नही थी सर्वप्रथम दिनांक 28.11.2022 को अप्रार्थी नंबर 1 ने उक्त भूमि खसरा नंबर 454, 445 के बने हुए मिन नंबर पर जबरन कब्जा करके निर्माण कार्य चालू कर दिया तब अपीलान्ट ने उक्त रेस्पो नंबर 1 कोनिर्माण कार्य करने के लिये मना किया तो उसने धमकी दी कि मैने तहसीलदार से उक्त भूमि को फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिये कनवर्ट करवा लिया है इसलिये मै तो निर्माण कार्य करूगा और अपीलान्ट को उक्त आदेश की फोटो कापी दी तब अपीलान्ट ने उक्त आदेश की नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया तब दिनांक 30.11.2022 को नकल तैयार होकर मिली तब सर्वप्रथम उक्त आदेश की जानकारी

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हुई उक्त आदेश अवैध अमान्य व प्रभावशून्य आदेश है जिसकी अपील करने की कोई मयाद भी नही होती है किन्तु फिर भी अपील जानकारी से अन्दर मयाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर देरी को माफ किया जावे। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील नियत अवधि 30 दिवस से अधिक विलंब से पेश की गई है। अपीलांट को उक्त नामान्तरण की पूर्व से जानकारी थी। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की दफा 5 कानून मियाद के बिन्दु पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।

4. तत्पश्चात मूल नामान्तरण अपील पर बहस सुनी गई।
5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम प्यारीवास में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 196, 197, 198 201, 228, 229, 269, 272, 368, 369, 371, 383, 445, 454 कुल किता 14 कुल रकबा 11.33 है० का खातेदार व काबिज काश्तकार अपीलान्ट का पिता महादेव पुत्र लछमा उर्फ लक्ष्मण जाति मीना निवासी प्यारीवास था उक्त महादेव की मृत्यु हो गयी है और महादेव के वारिस अपीलान्ट एवं राधेश्याम पुत्र महादेव था. महादेव की मृत्यु होने पर अपीलान्ट को सुनवायी एवं सबूत का अवसर दिये बिना व अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना मृतक महादेव के वारिस अपीलान्ट व राधेश्याम पुत्र महादेव होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत प्यारीवास ने बिना अपीलान्ट को सुनवायी एवं सबूत का अवसर दिये बिना तथा बिना वारिसान की जाँच किये बिना उक्त महादेव की विरासत का नामान्तरण संख्या 83 दिनांक 17.09. 98 को राधेश्याम पुत्र महोदव जाति मीना के नाम भरकर तस्दीक कर दिया उक्त राधेश्याम की मृत्यु हो गयी है और राधेश्याम के वारिस रेस्पों नंबर 2 लगा0 5 है। अपीलान्ट को उक्त नामान्तरण की जानकारी होते ही अपीलान्ट ने उक्त नामान्तरण संख्या 83 दिनांक 17.09.98 के विरूद्ध एक अपील अनुवानी गोपी बनाम गिर्राज की उप जिला कलेक्टर नांगलराजावतान मे प्रस्तुत की उप जिला कलेक्टर नांगल राजावतान ने उक्त अपील को मंजुर करके और नामान्तरण संख्या 83 पर पारित आदेश को निरस्त किया तथा प्रकरण को रिमान्ड किया। उक्त राधेश्याम ने अपने नाम खुले नामान्तरण के आधार पर उक्त भूमि का विक्रय कर दिया जिसके विरूद्ध भी श्रीमान के समक्ष अपील विचाराधीन है। तहसीलदार नांगल राजावतान को राजस्थान भू राजस्व ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन नियम 2007 के तहत अप्रार्थी नंबर 1 को खसरा नंबर 445/1 मे से 0.50 है० भूमि और खसरा नंबर 696/686 मे से 1.50 है0 का संपरिवर्तन कर दिया तथा जिसके नये वर्तमान नंबर 720/696 रकबा 1.50 है० व 445/1 रकबा 0.50 है० बना दिये हैं । उक्त नंबर अपीलान्ट के पिता के नाम की भूमि खसरा नंबर 445 व 454 से मिन नंबर बनाये गये है जिसकी अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी। अतः अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नांगल राजावतान दिनांक 18.11.2020 जिसके तहत अप्रार्थी नंबर 1 को बाके ग्राम प्यारीवास में स्थित खसरा नंबर 445/1 रकबा 0.50 है, खसरा नंबर 696/686 रकबा 1.5000 है० दि.18–110.20 को फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिये ग्रामीण कनर्वजन रूल्स 2007 के तहत कनवर्जन किया है। निर्णय अधिनस्थ न्यायालय विधि विरुद्ध प्रकिया नियमो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना नोटिस जारी किये बिना व बिना कोई जॉच किये बिना उक्त निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। उक्त भूमि जिसका सपंरिवर्तन किया गया है अपीलान्ट के पिता की भूमि थी जिसका गलत तरीके से अपीलान्ट के भाई राधेश्याम ने अकेले अपने नाम नामान्तकरण खुलवाकर और विक्रय पत्र करवा दिया अपीलान्ट द्वारा उक्त अपीलान्ट के भाई के नाम खुले नामान्तरण को निरस्त करवा दिया है और जब उक्त नामान्तरण निरस्त हो गया है तो तहसीलदार दौसा को फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिये कनवर्ट करने का कोई अधिकार नही था अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। तहसीलदार नागल राजावतान को ग्रामीण कनवर्जन रूल्स 2007 के तहत फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिये 2 हैक्टर भूमि कनवर्ट करने का कोई अधिकार नही था तहसीलदार नांगल राजावतान श्री ज्वालासहाय मीना ने अपने पद का दुरूपयोग करके भ्रष्ट

कलेक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आचरण करके क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त निर्णय पारित किया है तथा फर्जी रिकार्ड बनाया है जिसके संबध मे पृथक से मुकदमा दर्ज करवाया जावेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नांगल राजावतान दिनांक 18.11.2020 जिसके तहत अप्रार्थी नंबर 1 को वाके ग्राम प्यारीवास मे स्थित खसरा नंबर 445/1 रकबा 0.50 है0 खसरा नंबर 696/686 रकबा 1.5000 है0 का फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिये ग्रामीण कनर्वजन रूल्स 2007 के तहत कनवर्जन किया है को निरस्त फरमाया जावे।

6. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 से 5 ने उक्त नामान्तरण निरस्त किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।
7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार नांगल राजावतान के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधिवत रूप से पारित किया गया है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।
8. अप्रार्थी सं0 1 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
9. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
10. अपीलार्थीगण द्वारा तहसीलदार, नांगल राजावतान द्वारा दिनांक 18.11.2020 को भवानी सिंह के पक्ष में, राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण इकाई हेतु जारी संपरिवर्तन प्रमाण–पत्र को निरस्त किए जाने की राहत चाही गई है। अपीलांट के द्वारा एक नामान्तरण अपील सं0 24/2022 उनवानी गोपी वगै0 बनाम गिर्राज वगै0 इस न्यायालय के समक्ष पेश कर नामान्तरण को निरस्त किये जाने हेतु अनुतोष चाहा गया था, जिसे न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है।
11. संपरिवर्तन प्रमाण–पत्र की वैधता एवं निरस्तीकरण का प्रश्न उक्त संपरिवर्तन नियमों के अंतर्गत सक्षम मंच के क्षेत्राधिकार का विषय है। इसके अतिरिक्त, भवानी सिंह बाहरी, सद्भावी क्रेता है जिसने तत्कालीन राजस्व अभिलेख पर विश्वास कर भूमि क्रय एवं संपरिवर्तन कराया। रेस्पों0 भवानीसिंह के नाम जिस प्रकिया (विक्रय पत्र एवं विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक नामान्तरण) के द्वारा भूमि दर्ज हुई है, उस प्रकिया को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। बिना सक्षम मंच के निर्णय के, उसके पक्ष में जारी संपरिवर्तन/प्रविष्टि को इस स्तर पर अमान्य अथवा निरस्त किया जाना उचित नहीं है।
12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर संपरिवर्तन प्रमाण–पत्र दिनांक 18.11.2020 को निरस्त किए जाने संबंधी राहत क्षेत्राधिकार के अभाव में अस्वीकार की जाती है। पक्षकारों को स्वतंत्रता रहेगी कि वे संपरिवर्तन अथवा स्वामित्व संबंधी विवाद हेतु सक्षम मंच/प्राधिकारी के समक्ष विधि अनुसार कार्यवाही प्रस्तुत करें। संबंधित राजस्व/नामांतरण प्रविष्टियां नामांतरण संख्या 83 की उत्तराधिकार–जांच एवं सक्षम न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। इस आदेश से किसी पक्ष के अंतिम स्वामित्व/अधिकार पर कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक जून, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालयकी मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official